



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार- 249404

सं०: 590/17/नियुक्ति अधिव०/अधि०/2014-15

दिनांक: 22 अप्रैल, 2019

विज्ञप्ति

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या-267/17/नियुक्ति अधिव०/अधि०/2014-15 दिनांक 14 सितम्बर, 2018 तथा विज्ञप्ति संख्या-368/17/नियुक्ति अधिव०/अधि०/2014-15 दिनांक 27 नवम्बर, 2018 के द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड में योजित सेवा सम्बन्धी वादों के प्रभावी पैरवी, पर्यवेक्षण एवं निस्तारण हेतु अधिवक्ताओं के पैनल को नवीनीकृत किये जाने के दृष्टिगत अनुभवी अधिवक्ताओं से उनके बायो डाटा दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक आमंत्रित किये गये थे, जिसकी समयवधि विस्तारित करते हुए दिनांक 20 मई, 2019 तक की जाती है। बायो डाटा का प्रारूप सम्बन्धी विवरण आयोग की वेबसाईट www.ukpsc.gov.in पर पूर्व में प्रसारित विज्ञप्ति संख्या-267/17/नियुक्ति अधिव०/अधि०/2014-15 दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के क्रम में आंशिक संशोधन करते हुए प्रस्तर-1 में न्यूनतम 15 वर्ष की जगह 10 वर्ष की अनुभव होगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी। इच्छुक अधिवक्तागण उक्त विज्ञप्ति का अवलोकन करने के पश्चात् दिनांक 20 मई, 2019 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।

ह०
(राजेन्द्र कुमार)
सचिव

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार- 249404

सं०: 591/17/नियुक्ति अधिव०/अधि०/2014-15

दिनांक: 22 अप्रैल, 2019

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में विभिन्न भर्तियों से सम्बन्धित मा० उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड में दायर सेवा सम्बन्धी वादों के प्रभावी पैरवी, पर्यवेक्षण एवं निस्तारण हेतु आयोग द्वारा अधिवक्ताओं के पैनल को नवीनीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के दृष्टिगत मा० उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे अनुभवी अधिवक्ताओं से उनके बायो डाटा आमंत्रित किये जाते हैं।

इस संबंध में अधिवक्तागण को निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता धारित होना आवश्यक है :-

1. अधिवक्तागण को मा० उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड में सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
2. ऐसे अधिवक्ता, जो नैनीताल अथवा हल्द्वानी में निवास कर रहे हों, को वरीयता दी जायेगी।

इच्छुक अधिवक्तागण निर्धारित संलग्न प्रारूप में अपने समस्त शैक्षिक एवं अनुभव संबंधी विवरण की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करते हुए पूर्ण विवरण दिनांक **20 मई, 2019** तक आयोग कार्यालय को डाक अथवा किन्हीं अन्य माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ह०
(राजेन्द्र कुमार)
सचिव

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार- 249404

जीवन वृत्त पत्र का प्रारूप(Bio Data Format)

1.	आवेदक का नाम Name of Applicant:		आवेदक की स्वसत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो / Passport size photo of Appilcant		
2.	पिता का नाम Father's Name:				
3.	जन्म तिथि Date Of Birth:				
4.	स्थायी पता Permanent Address:				
5.	पत्र व्यवहार का पता Communication Address:				
6.	ऑफिस / चेम्बर Office/Chamber				
7.	मोबाइल नं० Contact No.				
8.	पैन कार्ड नं० PAN Card No				
9.	आधार संख्या Aadhar No				
10.	ई० मेल आई०डी० Email I.D				
11.	राष्ट्रीयता Nationality				
12.	वैवाहिक प्रास्थिति Marital Status				
13.	भाषा ज्ञान Language Known				
14.	शैक्षिक अर्हता (Educational Qualifications):-				
क्रम सं० S.No	परीक्षा Examination	विषय Subject	वर्ष Year	श्रेणी Div.	संस्था / विश्वविद्यालय Institution/ University
i.	हाईस्कूल:- High School:				
ii.	विधि स्नातक L.L.B.				

iii.	अन्य शैक्षणिक योग्यतायें / Other educational qualifications				
------	---	--	--	--	--

15. अनुभव एवं अवधि(Experience and Duration): _____

16. उत्तराखण्ड बार काऊन्सिल में पंजीकरण (Registration) की तिथि एवं संख्या:

17. प्रेक्टिस (न्यायालय का नाम) Practicing At _____

18. अन्य अनुभव (Other Experiences):- _____

19. अंतिम 05 वर्षों के कुल वादों की संख्या (Number of Cases of Last 05 years)

क. सेवा सम्बन्धी वाद(Service Matter).....

ख. निस्तारित वादों की संख्या (Number of Disposed Cases).....

ग. अन्य वादों की संख्या (Number of Other Cases).....

20. वाद से सम्बन्धित क्षेत्र विशेष का अनुभव (Field of Specialization).....

नोट:- अधिवक्तागण को क्रमांक-08 से 18 तक के समर्थन में आवश्यक अभिलेख स्वसत्यापित कर Bio Data Format के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

संलग्नकों की संख्या:-.....

घोषणा

मैं,..... यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं। मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। यदि कोई भी तथ्य/सूचना असत्य पायी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी और इस सम्बन्ध में यदि आयोग द्वारा मेरा आवेदन निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक:-.....

हस्ताक्षर:-.....

स्थान:-.....

नाम:-.....